न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम उपखण्ड अधिकारी ओसियॉ

पीठासीन अधिकारी :– रतनलाल रेगर (आर ए एस)

राजस्व वाद सख्या 57 / 2017

वादी :–

चम्पा कंवर पुत्री श्री भीखदान पत्नी श्री गजेदान जाति चारण निवासी ग्रम सुआप तहसील फलोदी हाल भाण्डूचारणान तहसील शेरगढ जिला जोधपुर।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. किशनदान पुत्र श्री रामूदाम
2. शभुदान पुत्र श्री रामूदान
3. माधुदान पुत्र श्री रामूदान
4. प्रभूदान पुत्र श्री रामूदान
5. विशनदान पुत्र श्री रामूदान
6. करनीदान पुत्र श्री रामूदान
7. सुगन कंवर पत्नी श्री गणेशदान
8. आवडदान पुत्र श्री गणेशदान
9. नारायणदान पुत्र श्री गणेशदान
10. खमा कंवर पत्नी श्री हरसुखदान
11. भगवानदान पुत्र श्री हरसुखदान
12. बक्सुदान पुत्र श्री प्रेमदान
13. अचलदान पुत्र श्री प्रेमदान
14. हडमानदान पुत्र श्री प्रेमदान
15. कैलाशदान पुत्र श्री प्रेमदान
16. भींवसिह पुत्र श्री कानदान
17. मु धनकवंर पत्नी श्री भीखदान
18. माली कंवर पत्नी श्री जवारदान
19. भवरदान पुत्र श्री जवारदान
20. हडमानदान पुत्र श्री जवाहरदान
21. भैरूदान पुत्र श्री अर्जुनदान
22. चुन्नी पत्नी श्री अर्जुनदान
23. जगदीशदान पुत्र श्री शक्तिदान
24. भगवानदान पुत्र श्री शक्तिदान
25. छैलूदान पुत्र श्री शक्तिदान
26. आवडदान पुत्र श्री शक्तिदान
27. लिछुकंवर पत्नी श्री शक्तिदान
28. शेषदान पुत्र श्री मुरारदान
29. मोहनदान पुत्र श्री किशनदान
30. चन्द्र कंवर पत्नी श्री किशनदान
31. घनश्याम पुत्र श्री मेघदान सभी जाति चारण निवासी ग्राम सुआप तहसील बापिणी जिला जोधपुरं ।
32. श्रीमान तहसीलदार साहब फलोदी
33. श्रीमान हल्का पटवारी हल्का सुआप तहसील फलोदी जिला जोधुपरं।

वादपत्र बाबत खातेदारी, रेकर्ड दुरूस्ती, बटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :–

श्री एस एस निर्वाण वादी की ओर से

सहायक कलेक्टर, ओसियां

Scanned by CamScanner

श्री अमरसिह भाटी प्रतिवादीगण की ओर से

निर्णय

दिनांक 7/8/19

वादी की ओर से वादपत्र इस आशय का पेश किया कि वादीया व प्रतिवादीगण की सयुक्त कब्जा काश्त सुदा भूमि खेत खसरा सख्या 15 रकबा 34 बीघा 05 बिश्वा, खसरा सख्या 20 रकबा 20 बीघा 02 बिश्वा, खसरा सख्या 97 रकबा 09 बीघा 18 बिश्वा, खसरा सख्या कुल रकबा 64 बीघा 05 बिश्वा सरहद मौजा सुआप में स्थित है वक्त सेन्टलमेन्ट उक्त वर्णित काश्त भूमि खसरा सख्या 15 रकबा 35 बीघा 07 बिश्वा, खसरा सख्या 20 रकबा 23 बीघा 09 बिश्वा, खसरा सख्या 97 रकबस 09 बीघा 18 बिश्वा, कुल रकबा 60 बीघाा 14 बिश्वा, आसुदान पुत्र श्री धनेदान, धनकवर बेवा भीखदान भैरदान पुत्र श्री कुम्भदान, मुरारदान मुल्तानदान पिता श्री बिडददान भीखदान पुत्र श्री हेमदान, रामूदान हरसुखदान गणेशदान पुत्र श्री हमीरदान के नाम से पैमाईस होकर राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में अंकित की गई खसरा सख्या 15 में से सडक निकलने के बाद 34 बीघा 05 व खसरा सख्या 20 मे से सडक निकलने के बाद 20 बीघा 02 बिश्वा खातदोरान के नाम से शेष अंकित है वादीया के पिता भीखदान पुत्र श्री हेमदान का उक्त वर्णित काश्त भूमि में 1/4 हिस्सा था प्रतिवादीगण सख्या 01 से 11 के पूर्वजो का 1/4 हिस्सा था प्रतिवादीगण सख्या 12 से 16 के पूर्वज आसूदान पुत्र श्री धनुदान का 1/6 हिस्सा था प्रतिवादीगण सख्या 17 से 20 के पूर्वज धनकवंर व हीरदान का 1/6 हिस्सा था प्रतिवादीगण सख्या 21 से 31 के पूर्वज मुरारदान किशनदान मेघदान शक्तिदान व अर्जुनदान का 1/6 हिस्सा था वादीया के पिता भीखदान 1988 में देहान्त होने पर वादीया एकमात्र उसकी जाईन्दा पुत्री होने और भीखदान का 1/4 हिस्सा भूमि वादीया में कानूनी निहित होने के बावजूद वादिया के अपने पीहर व सुआप की जगह अपने ससुराल गाव भाण्डु चारणान तहसील शेरगढ रहने के फलस्वरूप पीछे प्रतिवादीगण सख्या 01 से 11 के पूर्वजो ने अपने नाम विरासत नामान्तरकरण सख्या 100 पटवारी हल्का से मिलावट कर गलत खोलकर नायब तहसीलदार फलोदी से दिनांक 03.05.1991 को गलत तरीके से बिना किसी वारिसान की जांच की व गुप्त रूप से बाला बाला स्वीकार करवा लिया वादीया अपने पिता भीखदान एकमात्र उतराधिकारी वारिस है और भीखदान के 1/4 हिस्से के अपने नाम खातेदारी अधिकारी की घोषणा करवाने तथा विरासत नामान्तरकरण सख्या 100 ग्राम सुआप की निरस्त करवाने की हकदार है। इस वर्ष 2009 में वादिया वर्षा होने पर अपने ससुराल पर काश्त करने हेतु अपने पीहर स्थित कब्जे काश्त की भूमि पर आई तो रामूदान गणेशदान खम्माकंवर भवरदान के नाम प्रार्थीया के पिता के हिस्से की गलत विरासत नामान्तरकरण के जरिये राजस्व अभिलेख में गलत नाम दर्ज करवाने की आड मे दिनाक 25.08.2009 को धमकी दी कि मुझ वादीया काश्त भूमि में न तुम्हारा अभिलेख में नाम है तथा न ही कोई हक हिस्सा तथा हित है इस भूमि पर तुम्हारा नाम तुम्हारे पिता के देहान्त के बाद दर्ज नही होने से अब हम काश्त नही करने देंगे वादिया ने प्रतिवादीगण की इस धमकी पर विरासत नामान्तरकरण व अन्य आवश्यक दस्तावेज की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त की एव अपने पिता के स्थान पर अपने 1/4 हिस्से के भूमि के खातेदारी अधिकारो की घोषणा का वादपत्र पेश करने का निश्चय किया । अन्त में ईस्तदुआ चाही कि खेत खसरा सख्या 15 रकबा 34 बीघा 05 बिश्वा, सखरा सख्या 20 रकबा 20 बीघा 02 बिश्वा, खसरा सख्या 97 रकबा 09 बीघा 18 बिश्वा कुल रकबा 64 बीघा 05 बिश्वा सरहद सुआप तहसील बापिणी वादिया को उसके पिता भीखदान से विरासत में प्राप्त 1/4 हिस्से के खातेदार कृषक होना घोषित किया जावे। और प्रतिवादीगण सख्या 01 से 11 के पूर्वजो का 1/4 हिस्सा प्रतिवादीगण सख्या 12 से 16 के पूर्वज आसूदान पुत्र श्री धनुदान का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादीगण सख्या 17 से 20 के पूर्वज धनकंवर व हीरदान का 1/6 हिस्सा प्रतिवादीगण सख्या 21 से 31 के पूर्वज मूरारदान किशनदान मेघदान शक्तिदान व अर्जुनदान का 1/6 हिस्सा माना जावे । व वादीया ने ईस्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री भी चाही।

उक्त वादपत्र पेश होने के पश्चात प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता ने वकालातनामा पेश किया। व प्रतिवादीगण सख्या 01 से 6 की ओर से अधिवक्ता ने अलग से वकालातनामा मय आदेश 07 नियम 11 सी पी सी का प्रार्थना पत्र पेश किया जो निरस्त किया तत्पश्चात उक्त पत्रावली टासफर होकर इस न्यायालय में प्राप्त हुई । पत्रावली प्राप्त होने पर प्रतिवादीगण की ओर से एकपक्षीय जबाब दावा पेश हुआ तथा जबाब दावा में वादीया के वादपत्र को स्वीकार किया गया । तत्पश्चात पत्रावली में साक्ष्य वादी में मुकर्र रखी गई गणेशदान व चम्पाकंवर के बयान लेखबद्व किये गए।

प्रतिवादीगण की ओर से कोई साक्ष्य पेश नही गई । लिहाजा पत्रावली बहस हेतु मुकर्र रखी गई । बहस उभय पक्षकारान सुनी गई

अधिवक्ता वादी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किए कि वादीया वादपत्र में वर्णित अनुसार वादीया स्व श्री भीखदान जी की पुत्री है तथा वादीया के पिता श्री भीखदान का वादग्रस्त भूमि में 1/4

Scanned by CamScanner

हिस्सा था। लेकिन उक्त वादीया के पिता के देहान्त के पश्चात नामान्तरकरण सख्या 100 राजस्व कर्मचारियो से मिलभगत करके जारी प्रतिवादीगण सख्या 01 से 06 के नाम से जारी करवा लिया। अन्त में वादीया के अधिवक्ता द्वारा वादपत्र को स्वीकार किया जाकर डिक्री करने का निवेदन किया गया ।

अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने वादीया के अधिवक्ता के कथनो का समर्थन किया तथा वादपत्र को डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया अवलोकन से यह तथ्य सामने आया कि " आया वादग्रस्त भूमि वादीया के पिता श्री भीखदान की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि थी तथा वादीया भीखदान जी की ईकलौती सन्तान है। इसलिए वादीया उक्त भीखदान की हिस्से की घोषणा करवाने के की अधिकारी है।

उक्त विवाद्यक को तय करने के लिए वादीया के द्वारा वादपत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोन किया गया अवलोकन से यह जाहिर है कि नामान्तरकरण सख्या 100 के कॉलम सख्या 06 में वादीया के पिता भीखदान का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हैं जहॉ तक हिस्से के तथ्य है वादीया ने 1/4 हिस्से की घोषणा बाबत वादपत्र पेश किया है जिसका कोई भी खण्डन किसी भी प्रतिवादीगण ने नही किया है। तथा प्रतिवादीगण ने यह स्वीकार किया है कि वादीया स्व श्री भीखदान की पुत्री है तथा भीखदान के स्थान पर 1/4 हिस्सा घोषत करवाने की अधिकारी हैं चॅकि ग्राम पंचायत सुआप का प्रमाण पत्र भी सलग्न पत्रावली है इसलिए यह विवाद्यक वादीया के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

आदेश

अत वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाता है तथा खेत खसरा सख्या 15 रकबा 34 बीघा 05 बिश्वा, सखरा सख्या 20 रकबा 20 बीघा 02 बिश्वा, खसरा सख्या 97 रकबा 09 बीघा 18 बिश्वा कुल रकबा 64 बीघा 05 बिश्वा सरहद सुआप तहसील बापिणी वादिया को उसके पिता भीखदान से विरासत में प्राप्त 1/4 हिस्से के खातेदार कृषक घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द किया जाता है कि व वादीया के 1/4 हिस्से की भूमि में किसी प्रकार की कोई दखलदांजी नही करे । तदनुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब हो ।

(रतनलाल रेगर)
सहायक कलेक्टर ओसियाँ
आर.ए.एस
सहायक कलेक्टर ओसियॉ

आदेश आज दिनॉक 7/8/19 को हस्ताक्षरित करके खुले न्यायालय में सरेईजलास सुनाया गया।

(रतनलाल रेगर)
सहायक कलेक्टर ओसियाँ
आर.ए.एस
सहायक कलेक्टर ओसियॉ

Scanned by CamScanner